राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 1094 / जी.एस.
दिनांकः 03/08 /2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक–२०३२ / सम्बद्धता / ०६ दिनांक ३०–०६–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ की धारा–३७ (२) के अधीन दूजा देवी महाविद्यालय, रजोली सहतवार, बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी,भूगोल, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एव विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक / प्राचार्य, दूजा देवी महाविद्यालय, रजोली सहतवार, बलिया ।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव